

Sc Ms
2020/00093
08/02/2020

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. दुर्गाराम

हलका शुक्र वगारिह

पुत्र श्री धानाराम जाति चांसी

निवासी-शुक्र वगारिह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 90/वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका <u>शुक्र वगारिह</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा <u>शुक्र वगारिह</u> के खसरा नंबर <u>27/3</u> रकबा <u>1350 वर्ग फीट</u> किस्म भूमि <u>डी.मु.</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर कारत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>11-01-2021</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पीगलीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु जोधपुर पदार्थ छे पत्रावली दिनांक <u>18-01-2021</u> को पेश है।	
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>27/01/2021</u> को पेश है।	

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

दुर्गाराम

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल की तरफ से
उक्त वसील के उपस्थित होना जवाब हेतु
समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दि. 10-2-2021
को पेश है।

तहसीलदार सिपाधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीठाली शिष्टकारी मातु उद्युती
पर खिनायत पत्रावली दि. 17-2-2021
को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित। गैर
सामल को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दि. 22-2-2021
पत्रावली दि. 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिपाधरी
जिला-बाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित।
गैर सामल को बार-बार जवाब हेतु अवसर
दिले जाने के उपरांत भी कोई विधि सम्मल
स्वाक्षर प्रस्तुत नहीं किये। गैर सामल को
मतिहारी मानते हुए पत्रावली फैलल सुगार है।
निर्णय मसज से लिखा जाकर शिष्ट पत्रावली दि.
22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिपाधरी
जिला-बाड़मेर